कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 53 / 2024

वीरेन्द्र सिहं चौधरी पुत्र श्री समुद्र सिहं चौधारी निवासी 3 / 635 गोलपुरा रोड अग्रसेन स्कूल के पास, सुभाष नगर फेज II भरतपुर राज0 मो. नं. 9782634732

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजीयक भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 20.12.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट वीरेन्द्र सिहं चौधरी पुत्र श्री समुद्र सिहं चौधरी निवासी 3 / 635 गोलपुरा रोड अग्रसेन स्कूल के पास, सुभाष नगर फेज II भरतपुर राज0 की अपील लोक सूचना अधिकारी एंव उपपंजीयक भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 24 / 849 दिनांक 29.11.2024 से लोक सूचना अधिकारी से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव उपपंजीयक भरतपुर से कोई भी जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

2.......

आरटीआई / अपील / 2024 / 53
वीरेन्द्र सिहं चौधरी बनाम लो.सू.अ. उपपंजीयक भरतपुर

अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी एंव उपपंजीयक भरतपुर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एंव उपपंजीयक भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपपंजीयक भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर